बीआईएस ने नकली लिथियम बैटरियां बेचने के आरोप में मारा छापा

वैभव न्यूज ■ नई दिल्ली

भारतीय मानक ब्यूरो, दिल्ली शाखा कार्यालय-II के अधिकारियों की टीम द्वारा 11.09.2024 को मेसर्स एलेकोटेक इंडिया प्रा. लिमिटेड, दिल्ली में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया गया। मेसर्स एलेकोटेक इंडिया प्रा. लिमिटेड, दिल्ली नकली सीआरएस मार्क वाली, बिना सीआरएस मार्क वाली और रद्द किए गए लाइसेंस वाली पोर्टेबल लिथियम बैटरियां बेच रहा था, जो बीआईएस अधिनियम 2016 की धारा 17 का उल्लंघन है। इस अपराध के लिए दो साल तक की कैद या कम से कम दो लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है, जो वैध लाइसेंस के बिना मानक चिह्न चिपकाए या लगाए गए सामान के मूल्य से दस गुना तक बढ़ाया जा सकता है। दुकान से कुल 547 पीस पोर्टेबल लिथियम बैटरियां जब्त की गयी है. बीआईएस इस तरह के उल्लंघनों को रोकने के लिए भविष्य में भी इस तरह की छापेमारी जारी रखेगा।